S.No.	State/UT	Area declared surplus	Area taken possession of	Area Distri. buted
10	Madhya Pradesh	297	255	173
11	Maharashtra	704	624	525
12	Manipur	2	2	2
13	Orissa	174	159	146
14	Punjab	139	104	101
15	Rajasthan	619	546	432
16	Tamil Nadu	177	171	140
17	Tripura	2	2	2
18	Uttar Pradesh	529	498	358
19	West Bengal	1261	1143	899
20	D & N Haveli	9	8	6
21	Delhi	1	1	Neglible
22	Pondicherry	2	1	1
		7226	6229	4767

*Figures have been rounded upto the nearest thousand.

मिलिट्री डिस्पोजल की जीपों की कीमतों में वृद्धि

367. **डा० अबरार अहमद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों और विधायकों को आवंटित की जाने वाली मिलिट्री डिस्पोजल की जीपों की कीमतों में वृद्धि की गई है, यदि हां, तो कब ;

(ख) इन कीमतों में कितनी वृद्धि की गई है और उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि संसद् सदस्यों को आवंटित की जाने वाली इन जीपों की हालत अत्यंत खस्ता होती है और उनके निपटान से पहले उनकी बैटरियां, स्टैपनी, औजार एवं इसी प्रकार के अन्य कल-पुर्जे निकाल लिए जाते हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. सशस्त्र सेनाओं की निर्धारित वाहन निपटान नीति में दी गई शर्तों के अनुसार केवल श्रेणी 5 के अंतर्गत आने वाले वाहनों का ही निपटान किया जाता है । इस श्रेणी के वाहन व्यापक रूप से

इस्तेमाल कर लिए गए होते हैं लेकिन भारी मरम्मत/ओवरहाल करने के बाद इनका फिर इस्तेमाल किया जा सकता है । इन वाहनों को निपटान के लिए निर्धारित करने से पहले उनके टायर बैटरियां, ओजार, किट आदि, जिनका अन्य वाहनो में इस्तेमाल किया जा सकता है, निकाल लिए जाते है ।

2. सांसदो और विधायकों (महानगर परिषद् के सदस्यो सहित) को अपने निर्वाचन क्षेत्रो का दौरा करने के लिए रक्षा निपटान भंडार से, बिना निलामी के, पूर्व-निर्धारित कीमत पर वाहन मुहैया किए जाते हैं । सांसदो और विधायकों को बेचे जाने वाले वाहनों की कीमत, पिछले वर्ष के दौरान नीलामी पर की गई बिक्री की दर के औसत के आधार पर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को निर्धारित की जाती है । इस प्रकार वर्ष 1990-91 के लिए सांसदों और विधायकों को आबंटित की गई जीपों की कीमत 20,905/- रुपए थी । वर्ष 1991-92 के लिए निर्धारित कीमत 23,980/- रुपए है ।

Industrial Production Affected by Import Curbs

368. **MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:**

(a) whether it is a fact that the industrial production in the first half of the current year has been adversely affected by the recent import curb imposed by the RBI;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government propose to reduce or remove those import curbs and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) and (b) According to the Index of Industrial Production compiled by CSO which is available upto March, 1991 the month-wise rates of industrial growth from January, 1991 onwards are as follows:

Period	Rate of Growth
January, 1991	4.3
February, 1991	6.3
March, 1991	7.2

The curbs on financing of imports were imposed by RBI with effect from 19th March, 1991. In the absence of availability of Index of Industrial Production from April, 1991 onwards, it is difficult to say that the curbs imposed by RBI have adversely affected industrial production.

Many manufacturing units have carried on production during the last quarter with the inventories of raw materials and components already available. With the depletion of inventories and with continuation of RBI curbs on financing of imports, the industrial production may get adversely affected.

(c) The Government is constantly reviewing the import curbs which have become inevitable due to the tight balance of payments possible and it is proposed to reduce and remove the curbs on imports as and when the balance of payment situation permits.

Assessment of Liabilities of Glaxo by the Special Team under Drug Prices Equalisation Account

369. **DR. RATNAKAR PANDEY: Will the PRIME MINISTER be pleased** to state:

(a) whether it is a fact that the Special Team did not assess the liability of M|s. Glaxo under DPEA;

(b) if so, who decided the assessment of Rs. 37 crores towards this company and on what basis;

(c) whether it is a fact that the liability of Rs. 37 crores has been revised to 66.35 crores.